प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर

पत्रांक .... /मुज०, दिनांक ....

आवश्यक सूचना

सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 3472, दिनांक 18.09.2023 के अनुपालन में संस्थान में अध्ययनरत सभी संकाय के छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आगामी परीक्षा फार्म भरने के लिए विषयवार प्रत्येक विषय में एवं Biometric Machine में Face Biometric उपस्थिति 75% अनिवार्य है। वैसे छात्र–छात्राएं जिनका विषयवार प्रत्येक विषय में एवं Biometric Machine में Face Biometric उपस्थिति 75% से कम होगी उनको किसी भी परिस्थिति में परीक्षा फार्म नहीं भरने दी जाएगी। इसके लिए छात्र/छात्राएं स्वयं जिम्मेवार होंगे।

इसे अतिआवश्यक समझे।

अनुलग्नकः– *विभागीय पत्र की छायाप्रति संलग्न।*

ह०/–
प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 562 /मुज०, दिनांक 22.07.2024

प्रतिलिपिः–

1. संस्थान के वेब पोर्टल/सूचना पट्ट पर सभी छात्र–छात्राओं को सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्थापना, रा०पो० मुजफ्फरपुर सूचनार्थ एवं संधारणार्थ प्रेषित।
3. संस्थान के सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को सूचनार्थ एवं सभी छात्र–छात्राओं को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित।

22/07/24
प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर।
22/07/24

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

पत्रांक– वि0प्रा0(IV)विविध(समिति गठन एवं अन्य)–03/2023–3472 पटना, दिनांकः–18/9/23

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0
सचिव,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/
राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान, बिहार।

विषयः– संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की उपस्थिति (75 प्रतिशत) अनिवार्य रूप से लागू करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार अंतर्गत संचालित सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कम–से–कम 75 प्रतिशत दर्ज करना अनिवार्य होगा। अगर कोई छात्र/छात्रा 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं दर्ज कर पाते हैं, तो उनको आगामी परीक्षा में भाग लेने से वंचित किया जा सकेगा। इस हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय एवं राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद् को दिशा–निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

अतः उक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य अपने संस्थान में स्वयं अपने स्तर पर समीक्षा कर छात्र/छात्राओं की कक्षाओं में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

वैसे छात्र/छात्राऐं जो स्वास्थ्य कारणों से इस अवधि में 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं दर्ज कर पाए, उन परिस्थिति में प्राचार्य (केस टू केस वेसिस पर) निर्णय ले सकते है।

विश्वासभाजन

सचिव,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना। 15/9/2023

ज्ञापांकः– वि0प्रा0(IV)विविध(समिति गठन एवं अन्य)–03/2023–3472 पटना, दिनांकः–18/9/23

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कुलपति/कुल सचिव, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, बिहार, पटना। कृपया राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के स्तर से दिशा–निर्देश जारी करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
2. सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार। कृपया राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद् से भी दिशा–निर्देश जारी करना सुनिश्चित करें।
3. आई०टी० मैनेजर, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार।

सचिव,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना। 15/9/2023